M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2020

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 12
कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 07
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 07

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र
CRIMINAL LAWS & PROCEDURE
अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

1. Discuss the difference between 'rape' and 'consensual sex' with reference to promise of marriage. Explain distinction between 'false promise of marriage' and 'mere breach of promise to marry'. 8

1. विवाह के वचन के संदर्भ में "बलात्संग" व "सहमतिजन्य संभोग" में अन्तर की चर्चा करें। "विवाह के मिथ्या वचन" व "विवाह के वचन का मात्र भंग" के बीच भेद की व्याख्या करें। 8

2. **A)** Merely because an accused is found guilty of an offence punishable under Section 498-A of the Code and the death has occurred within a period of seven years of marriage, accused can be automatically held guilty for offence punishable u/s 306 of the Code by employing the presumption under Section 113-A of the Act. Examine the correctness of the statement. 4

B) Even without intention, a person may be guilty of murder. Elucidate. 4

2. **अ)** मात्र इस कारण कि एक अभियुक्त को संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया है और मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर कारित हुई है, अभियुक्त को धारा 113ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उपधारणा करते हुए संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। कथन की शुद्धता का परीक्षण करें। 4

ब) आशय के अभाव में भी एक व्यक्ति हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। व्याख्या कीजिए। 4

3. **A)** If two persons commit the same act, can they be guilty of different offences in respect of the act? Discuss with relevant provisions of law and case laws. 4

B) Non-applicability of Section 149 of IPC is no bar in convicting the accused persons with the aid of Section 34. Discuss. 4

3. **अ)** क्या दो व्यक्तियों द्वारा समान कृत्य किए जाने के बावजूद उन्हें उक्त 4

कृत्य के संबन्ध में पृथक–2 अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों की सहायता से व्याख्या करें।

ब) संहिता की धारा 149 का लागू न होना धारा 34 की सहायता से अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने में कोई रोक नहीं लगाता है। व्याख्या करें। 4

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. **A)** Provision of Section 195 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is a safeguard against irresponsible and reckless prosecutions by private individuals in respect of offences which relate to the administration of justice and contempt of lawful authority. Discuss. 3

B) When the bar contained in Section 195 of Cr.P.C. shall not be applicable ? Discuss with case laws and illustrations. 3

C) Whether in a Sessions triable case, conviction and sentence can be passed on the same day ? Discuss with relevant provisions of law. 2

4. **अ)** धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान, ऐसे अपराधों जो कि न्याय प्रशासन एवं विधिपूर्ण प्राधिकारी की अवमानना से संबंधित है, के संबंध में निजी व्यक्तियों द्वारा पेश किये जाने वाले विद्वेषपूर्ण व गैर–जिम्मेदाराना अभियोजन के विरूद्ध एक संरक्षण है। व्याख्या करें। 3

ब) धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता में बताए गए प्रतिबंध कब लागू नहीं होंगे? सुसंगत न्यायदृष्टांतों व उदाहरण सहित व्याख्या करें। 3

स) क्या सत्र न्यायालय द्वारा विचारणयोग्य किसी प्रकरण में दोषसिद्धि एवं दण्डादेश उसी दिन पारित किया जा सकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों की सहायता से व्याख्या करें। 2

5. **A)** Whether appeal for enhancement of sentence by victim is maintainable? Discuss the victim's right to appeal in relation to offences that took place before 31st December, 2009. 4

B) Whether complainant of a private complaint can file appeal as victim? Discuss with relevant provisions of laws and case laws. 4

5. **अ)** क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा दण्डादेश में वृद्धि करने हेतु पेश अपील पोषणीय है ? दि0 31 दिसम्बर 2009 के पूर्व किए गए अपराधों के सबंध में पीड़ित के अपील करने के अधिकार की व्याख्या करें। 4

ब) क्या निजी परिवाद का परिवादी पीड़ित के रूप में अपील दायर कर सकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें। 4

6. **A)** Whether counsel engaged by victim/complainant çan be permitted to cross-examine defence witness after cross-examination by public prosecutor? Discuss with relevant laws and case laws. 2

B) Whether appellate Court may alter the charge? If yes, under what circumstances ? Discuss with relevant provisions of law and case laws. 6

6. **अ)** क्या पीड़ित/वास्तविक परिवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को लोक अभियोजक के द्वारा बचाव साक्षी का प्रतिपरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् उसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें। 2

ब) क्या अपीलीय न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें। 6

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

7. **A)** "Judge is not expected to be a mute spectator while the evidence is being recorded." Explain with relevant provisions and case laws. 4

B) While recording the evidence of prosecutrix in a rape case, certain precautions need to be adopted. Explain. 4

7. **अ)** "साक्ष्य अभिलेखन के दौरान न्यायाधीश से मूकदर्शक बने रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है।" सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ स्पष्ट करें। 4

ब) "बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री की साक्ष्य अभिलेखन के दौरान कुछ निश्चित सावधानियॉ बरते जाने की आवश्यकता होती है।" व्याख्या करें। 4

8. **A)** Whether waiver of objection to mode of proof is permissible in criminal cases? Whether objection as to admissibility of electronic evidence for want of certificate u/s. 65B of Evidence Act, once waived at the time of recording of evidence can be raised during appeal? Discuss. 4

B) When secondary evidence can be permitted by Court? Whether carbon copies can be taken into consideration as primary evidence ? What are the necessary requirements for admissibility of photocopy ? 4

8. **अ)** क्या आपराधिक मामलों में प्रमाण की रीति के त्यजन का अधिकार अनुज्ञेय है ? क्या धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रनिक साक्ष्य की ग्राहयता के संबंध में साक्ष्य अभिलेखन के समय न उठाई गई आपत्ति को अपील के दौरान उठाया जा सकता है ? व्याख्या करें। 4

ब) कब न्यायालय द्वारा द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जा सकती है ? क्या कार्बन प्रतिलिपियों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्य किया जा सकता है ? साक्ष्य में फोटोकॉपी की ग्राह्यता के संबंध में अनिवार्य आवश्यकता क्या हैं ? 4

9. **A)** What is the difference between 'Dock Identification' and 'Test Identification Parade' ? Explain the evidentiary value of each of them? 4

B) An injured making dying declaration survives. Explain the evidentiary value of such statement ? 2

C) How evidence of a witness unable to communicate verbally, be recorded ? Answer citing relevant provision of law. 2

9. **अ)** 'न्यायालय के समक्ष पहचान' व 'पहचान परेड' में क्या अन्तर है ? इनमें से प्रत्येक का क्या साक्ष्यिक मूल्य है ? स्पष्ट करें। 4

ब) मृत्युकालीन कथन करने वाला आहत, जीवित रह जाता है। उसके ऐसे कथन का साक्ष्यिक मूल्य स्पष्ट करें। 2

स) ऐसे साक्षी की साक्ष्य, जो कि मौखिक रूप से संसूचित करने से असमर्थ है, कैसे लेखबद्व की जावेगी ? सुसंगत विधिक प्रावधान लेख करते हुए उत्तर दें। 2

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
(Section – 138 to 147)

10. **A)** Whether the Court trying an offence under Section 138 may order the drawer of the cheque to pay interim compensation to the complainant? What are the powers of Appellate Court in this regard ? Discuss with relevant provisions of law. 6

B) Whether provisions of Section 143A are retrospective in operation? Explain with relevant case laws. 2

10. **अ)** क्या धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि0 के अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, चैक के लेखीवाल को परिवादी को अंतरिम प्रतिकर अदा करने का आदेश दे सकता है? इस संबंध में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां क्या हैं ? सुसंगत विधिक प्रावधानों के साथ व्याख्या करें। 6

ब) क्या धारा 143क के प्रावधान प्रभाव में भूतलक्षी हैं ? सुसंगत न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें ? 2

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(Section – 2 to 8, 14 and 18)

11. **A)** An offence was committed and registered on 15.06.2021 in police station MIG of Indore involving offences under Indian Penal Code as well as under Act of 1989. What will be the effect if the investigation is conducted by officer below the rank of Dy. S.P. in such case? 2

B) Ram, a male of general category, calls Devi Bai, a female member of ST community, *"Adiwasin"* at a place within public view. What offence is made out against Ram? Discuss with relevant provisions of law and case laws. 4

C) In a case involving offences under SC/ST (POA) Act, 1989 and POCSO Act, 2012, which court is competent to try such case ? Discuss with relevant provisions of laws and case laws. 2

11. **अ)** दिनांक 15.06.2021 को थाना एमआईजी इन्दौर में भारतीय दण्ड संहिता के साथ–साथ, अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध, घटित व पंजीबद्व हुआ। ऐसे मामले में यदि अनुसंधान उपपुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा दिया गया है तो उसका क्या प्रभाव होगा ? 2

ब) सामान्य श्रेणी का पुरूष राम अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्या देवी बाई को जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर "आदिवासिन" कहकर बुलाता है। राम के विरूद्ध कौन सा अपराध बनता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या कीजिए। 4

स) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत एक साथ पंजीबद्ध अपराध के विचारण हेतु कौन–सा न्यायालय सक्षम है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या कीजिए। 2

MIXED
मिश्रित

12. Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -

(A) Whether right of accused to compound the offence under Section 147 of NIA is absolute ? Whether the stage of case makes any difference for accused in respect of compounding of offence ? Discuss with relevant provisions of laws and case laws. 6

(अ) क्या परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध को शमन करने का अभियुक्त का अधिकार आत्यांतिक है ? क्या मामले का प्रक्रम अभियुक्त के ऐसे अपराध को शमन करने के सबंध में कोई अंतर उत्पन्न करता है? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या कीजिए। 6

(B) Whether property of a person accused under SC/ST (POA) Act, 1989 is liable to be attached and forfeited ? Discuss with relevant provisions of law. 6

(ब) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अभियुक्त व्यक्ति की सम्पत्ति सम्पृहत एवं कुर्की किये जाने की दायित्वाधीन होती है ? सुसंगत विधिक प्रावधान के साथ व्याख्या कीजिए। 6

****